

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
सामाजिक वाचन

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures) _____

--	--	--	--	--

(In Words) _____

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में _____

नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में आपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी अंग्रेजी

विषय सामाजिक विज्ञान

परीक्षा का दिन

दिनांक

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

- परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं। अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।
(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायें और निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदात करें।
(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : 15 1/4 को 16, 17 1/2 को 18, 19 3/4 को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों को क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Roundoff)	
16		अंकों में शब्दों में	
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतांक

--	--	--	--

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोब कागज ही उपयोग में लिया गया है। 161/2017

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समसत प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुरितका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुरितका पृथक से उत्तर पुरितका भरी हुई होने पर पर्यावेक्षक एवं वीक्षक की अनुशासा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।
4. गिम्ब बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (i) उत्तर पुरितका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहीं गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, कोन नाम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुरितका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुरितका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुरितका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलवथूलोटर, मोबाइल, गेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) बस्त्र, स्केल, ज्योग्रेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुरितका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुरितका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का आधिकार है। वीच में उत्तर पुरितका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुरितका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुरितका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-आंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर दिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए।



1. अशोक के रूमनदई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वहाँ शूमि कब की थी 1/6 से धटाका 1/8 कर दी थी। इसलिए यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
2. जयपुर का जन्तर-मन्तर, सर्वार्दि जयन्ती द्वारा बनायी गयी सर्वप्रमुख वैद्यकाला है जिसे युनेस्को ने अपनी सूची में कानूनिक बना लिया है।
3. आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप निम्न हैं-
 - (i) अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
 - (ii) संसदीय लोकतंत्र
 अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण संसुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है तथा संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है।
4. इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ निम्न हैं-
 - (i) इंटरनेट से किसी भी प्रकार की ज्ञानकारी प्राप्त की जा सकती है।
 - (ii) इंटरनेट से वीडियो कॉ-फ्रेंसिंग की जा सकती है।
5. देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक विशेष वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाती है।
6. भारत में विशेष वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 15 मार्च तक होती है। इसी अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है।



7. प्रायमिक ज्ञेत्र में वे मतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है जैसे - कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि।
8. सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य अनेक वस्तुओं या निश्चित वस्तु समूह की कीमत के औजात स्तर के हैं। सामान्य कीमत क्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं अपितु निश्चित वस्तु समूह की औजात कीमत को व्यक्त करता है।
9. काम करने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलना, बेरोजगारी कटलाती है। इसमें उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है।
10. भारत में गरीबी मापन का पद्धति मध्यास स्वतंत्रता से पूर्व 1868 ई. में दाका भाई नौरोजी ने किया था।
12. टांकों जल संग्रहण का एक परम्परागत रूप है। इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरे झूँड़े टांकों का निर्माण किया जाता है। तथा घर व अगोद से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके अन्दर की ओर सीमेंट से लेप किया जाता है ताकि जल का विसाव ना हो। यह नाड़ी जैसा होता है परन्तु उससे अधिक गहरा होता है। योजना जिसके अन्तर्गत टांकों का निर्माण किया गया - "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना"।



13. व्यवसायिक फसल कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल का एक रूप है।

ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के कप में या औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, व्यवसायिक फसल कहलाती है। इसे नकदी, औद्योगिक तथा मुद्रादायिनी फसल भी कहा जाता है। व्यवसायिक फसलों के चार उदाहरण निन्म हैं-

- (i) गन्ना
- (ii) कपास
- (iii) जूट
- (iv) तम्बाकू

14. धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं-

- (i) लौह धातु प्रधान
- (ii) अलौह धातु प्रधान

(i) लौह धातु प्रधान - इनमें लौह के अंश की प्रधानता पायी जाती है, अतः ये लौह धातु प्रधान धात्विक खनिज कहलाते हैं।

उदाहरण - लौह अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, मैग्मीन, टिन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, कौबाल्ट

(ii) अलौह धातु प्रधान - ऐसे खनिज जिनमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है, अलौह धातु प्रधान अ धात्विक खनिज कहलाते हैं।

उदाहरण - सोना, चाँदी, ताँबा, टिन, मैग्नीशियम, सीमा, जस्ता

15. भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले दो प्रभाव निन्म हैं-

- (i) औद्योगिक प्रदूषण में निकलने वाली जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदाय हैं। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि की उर्बरता कम हो जाती है,



पेड़-पौधे व भूदग्धनीव नष्ट हो जाते हैं।

(ii) औद्योगिक प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे-
के चर्म रोग, जलन इत्यादि हो जाते हैं। इससे श्वास सम्बन्धी
बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा बातावरण प्रदूषित हो
जाता है।

16. जन्म दर-

किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं
की संख्या व दर किसी देश की जन्म दर कहलाती है।

मृत्यु दर-

किसी देश में एक वर्ष की अवधि में मृत होने वाले लोगों
की संख्या व दर किसी देश की मृत्यु दर कहलाती है।

जन्म दर व मृत्यु दर में अन्तर्दूलन के कारण जनसंख्या
में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) की स्थिति उत्पन्न हो
जाती है।

17. भारत में पाइप लाइन परिवहन-

भारत में पाइप लाइन परिवहन, परिवहन का एक अत्याधुनिक
तरीका है। इस प्रकार के परिवहन में पाइप के माध्यम
से ही तरल पदार्थों जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि का
सुरक्षित, सुविधाजनक व उचित समय पर परिवहन किया
जाता है। पाइप लाइन परिवहन उन हेतु से अधिक विनियम
है जहाँ खनिज तेल के मंडार हैं। भारत में पाइप लाइन
परिवहन असम, गुजरात, भूटान, राजस्थान में सांचोर,
गुजाराती आदि हेतु से विकसित अवस्था में पाया
जाता है।



हारा अंक	प्रश्न राश्या	परीक्षार्थी उत्तर
18.	सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेगे - (i) सड़क पर बांधी और चलेगे। (ii) फुटपाथ व जेब्रा क्रांसिंग का उपयोग करेगे। (iii) यावायात नियमों व किन्नलों का पालन करेगे। (iv) सावधानीपूर्वक वाहनों का ध्यान रखते हुए चलेगे।	
19.	ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम - ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए तीन सिद्धांतों को अपनाया गया है, जिन्हें 3R सिद्धांत भी कहते हैं, ये हैं - (1) कम उपयोग करना - यह 3R का पहला सिद्धांत Reduce है। इसमें वस्तुओं का कम उपयोग किया जाता है। (2) पुनः उपयोग करना - यह 3R का दूसरा सिद्धांत Reuse है। इसमें काम में ली जा चुकी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जाता है। (3) पुनः चक्रण करना - यह 3R का तीसरा सिद्धांत Recycle है। इसमें अपशिष्ट का पुनः उपयोग करके उसका प्रबंधन किया जाता है। इस ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाता है।	
21.	मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन - मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। इस प्रशासन में 14 विभागों का उल्लेख था, जिन्हें तीर्थ कहा गया। मौर्यकाल में राजा पर नियंत्रण के लिए कोई संस्थान नहीं थी, किर भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्यकाल में पहली बार केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुयी, कौटिल्य ने	



राज्य के सात अंग बताए - बाजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग,
सैना व मित्र।

* उपधा परिक्षण -

राजा द्वारा मंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली-
माँति जांच करने के पश्चात ही की जाती थी, इस
क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था।

* महामात्र -

अर्धशास्त्र में १४ विभागों का उल्लेख था जिन्हें तीर्थ कहा गया।
तीर्थ का अध्यक्ष महामात्र कहलाता था।

* समाहृति -

समाहृति का कार्य वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा रखना,
वार्षिक बजट तैयार करना व राजस्व एकत्रित करना था।

* सन्निधाता -

इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका सचिव इसका
कार्य राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह व अन्नागृह
बनवाना था।

इसके अतिरिक्त २६ विभागाध्यक्षों का भी उल्लेख था -

1. क्षीताध्यक्ष (कृषि)
2. प०याध्यक्ष (व्यापार-वाणिज्य)
3. बंधनागराध्यक्ष
4. पौत्राध्यक्ष
5. आरविक (वन विभाग का प्रमुख)
6. मुद्राध्यक्ष
7. लक्षणाध्यक्ष (मुद्रा जारी करवाना)
8. विवृताध्यक्ष (धारागाह)
9. लूणाध्यक्ष (बुचउखाना)
10. सूत्राध्यक्ष (कतार्ब-सुनार्ब)

इस प्रकार मौर्यकालीन केन्द्रीय मंत्रालय सुव्यवस्थित था।

उत्तर-30

नामांक

Roll No.

1	5	9	7	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---

S-08-Social Science

माध्यमिक परीक्षा, 2018


SECONDARY EXAMINATION, 2018

सामाजिक विज्ञान
SOCIAL SCIENCEव
न

मो)

त
ली

नदी





संशोधक द्वारा
प्रदत्त अंक

BSER-164/2018

22. इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान-

इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले व्यक्तियों में मैजिनी प्रमुख था। इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करने में मैजिनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

* यंग इटली (युवा इटली) की स्थापना-

मैजिनी ने सन् 1870 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसने शीघ्र ही कार्बोनरी का स्थान ले लिया। मैजिनी का मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो सम्पूर्ण शास्ति नवयुवकों के हाथों में देनी होगी। वह नवयुवकों पर सर्वाधिक विश्वास करता था। उसने तीन नारे दिए - ईश्वर पर विश्वास रखो, भाईचारे की भावना अपनाओ और इटली को क्वतंत्र कराओ।

* राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में मैजिनी का योगदान-

मैजिनी ने यंग इटली संगठन के माह्यम से लोगों को इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित किया तथा राष्ट्रवादी भावना जागृत की। ज्युफस गौरीबाल्डी के साथ मिलकर उसने नेपल्स व निसली के इटली में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

) इस प्रकार इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान उल्लेखनीय रहा।

23. सामाजिक लोकतंत्र-

समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य है - सामाजिक समता की स्थापना। सामाजिक लोकतंत्र में समानता के अधिकार का प्रचलन होता है।

सामाजिक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो तथा समानता के विचार की प्रबलता हो।
— हर्षेश



वास्तव में सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर नेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मुख का साधन नात्र नहीं समझा जाना चाहिए।

* सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दर्शाई-

- (i) सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए।
- (ii) जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर समाज में प्रचलित विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत होना चाहिए।
- (iii) समाज में सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- (iv) नेदभाव व जाति प्रथा का अंत होना चाहिए।

24. भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में चार तर्क निम्न हैं:-

- (i) बढ़ती हुयी प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय-
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील स्थिति को दर्शाने वाले कारकों में प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय सर्वप्रमुख कारक हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अति निम्न थी। यह सात्र ३.५% थी। डॉ. राजकुण्डा ने इसे दिन्दु विकास दर कहा। परन्तु धरि-धरि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गयी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को प्रदर्शित करती है।
इसी प्रकार बढ़ती हुयी राष्ट्रीय आय भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।

(ii) कृषि पर निर्भरता में कमी-

जैसे-जैसे किसी देश की कृषि पर निर्भरता ने कमी आती है वैसे-वैसे द्वितीयक व दृतीयक द्वेष पर निर्भरता बढ़ती जाती जाती है। भारत में स्वतंत्रता के समय 1947 अनांख्या रोजगार व जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भरणी परन्तु धीरे-धीरे कृषि पर निर्भरता ने कमी आयी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।

(iii) दृतीयक द्वेष के सकल घेरेलू उत्पाद में योगदान में वृद्धि-

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दृतीयक द्वेष का GDP में योगदान अतिन्युन था परन्तु इवर्टमान में द्वितीयक व दृतीयक द्वेष का GDP में योगदान 85% को अधिक है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाता है।

(iv) सामाजिक आधार संरचना में सुधार-

भारत की सामाजिक आधार संरचना (बैंडिंग व बीमा प्रणाली, शिक्षा, परिवहन आदि) में निरन्तर सुधार होता जा रहा है, यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाता है।

इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।

25. मुक्ता-

मुक्ता वह मौलिक माप वाली वस्तु है जिसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के बदले कामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वाकर व हार्टलै विद्या के शब्दों में - "मुक्ता वह है जो मुक्ता का कार्य करे।"

कृष्ण



* मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य-

(i) मूल्य का भंडार -

मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य मूल्य का भंडारण है। मुद्रा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य अलग-अलग निश्चित होता है। जिसने मूल्य की वस्तु खरीदी जाती है, उसने ही मूल्य वाली मुद्रा विकेता को अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के भंडारण का कार्य करती है।

(ii) मूल्य का मापक-

अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अन्य प्रमुख कार्य मूल्य का मापन करना है। मुद्रा मूल्य के मापक के तौर पर कार्य करती है। मुद्रा विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है क्योंकि मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है।

(iii) विलम्बित भुगतानों की माप-

मुद्रा विलम्बित वस्थि स्थगित भुगतानों की माप के रूप में भी कार्य करती है। इसके द्वारा स्थगित भुगतानों का मूल्य अदा किया जा सकता है। इसी से विलम्बित भुगतानों की कीमत भी अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा विलम्बित वस्थि स्थगित भुगतानों की माप होती है।

निष्कर्ष: मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं- मूल्य का भंडारण, मूल्य का मापन व विलम्बित भुगतानों की माप।



26. उपभोक्ता कारा क्रय की गयी वस्तु का जब उपभोक्ता को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह स्थिति उपभोक्ता का शोषण कहलाती है। उपभोक्ता शोषण के चार प्रमुख कारण निम्न हैं-
- (i) उपभोक्ता कारा क्रय की गयी वस्तु के बारे में सम्पूर्ण ज्ञानकारी (उत्पादन की तिथि, समाप्ति की विधि) प्राप्त नहीं करने पर उसे मिलावटी या कम युग्मता वाली वस्तु प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है।
 - (ii) उपभोक्ता के पर्याप्त जागरूक नहीं होने के कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है। यहि उपभोक्ता को विक्रेता कारा कम युग्मता वाली या मिलावटी वस्तु दी जाती है तो उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी चाहिए अन्यथा वह शोषण का शिकार हो जाता है।
 - (iii) उपभोक्ता कारा वस्तु की नाप, तौल, मात्रा, युग्मता, शुद्धता आदि की जांच न करना उपभोक्ता शोषण का कारण है।
 - (iv) समाज के व्यक्तियों का उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध संघर्ष होकर प्रयास न करना भी उपभोक्ता शोषण का कारण बन जाता है।
- इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है।

27. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इयामजी कृष्ण वर्मा विनायक दामोदर सावरकर का योगदान-

- (i) इयाम जी कृष्ण वर्मा-
- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इयाम जी कृष्ण वर्मा प्रमुख आन्दोलनिकारी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लन्डन से शिक्षा प्राप्त की। जब वे भारत लौटकर आये तो उन्होंने भारत में अंग्रेजों की दमनकारी व अत्याचारी नीतियों देखी,



वे पुनः लन्दन चले गये तथा वहाँ से उन्होंने क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। उन्होंने लन्दन में "इण्डिया हाउस" की स्थापना की। इस प्रकार के संगठन की स्थापना करने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से भारतीय क्रान्तिकारियों को संरक्षण प्रदान किया। मध्यन लाल धींगरा, छरदयाल जैसे क्रान्तिकारी भी इसके सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसके साहित्य से विदेश में आए भारतीयों को प्रतिष्ठि एक-एक हजार रुपये की छ.

फैलोशिप प्रदान की। उन्होंने "इण्डियन सोशलिज्म" नामक पुस्तक भी लिखी तथा लन्दन में रहकर वहाँ से भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए मेरिट करते रहे। श्याम जी कृष्ण वर्मा सुलतः भारत के परिचिनी भाग में गुजरात में काठियावाड़ के रहने वाले थे। जब वे पुनः भारत लौटे तो सरकार को उनकी इन गतिविधियों के बारे में पता चल गया। तथा अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की घोषणा करनायी परन्तु श्याम जी कृष्ण वर्मा को इस घात का पता चल भया और वे भारत से प्रेरित चले गये। इस प्रकार श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इण्डिया हाउस की स्थापना कर राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखा।

(ii) विनायक दामोदर सावरकर -

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म भागुर नामक स्थान पर मध्यराष्ट्र में हुआ। उनके राष्ट्रवादी कार्यों को देखकर भारतीय जनता ने उन्हें पीर की उपाधि प्रदान की। उन्होंने फर्युसिन कॉलेज के शिक्षा प्राप्त की जहाँ वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्पर्क में आये।

उनसे प्रेरणा लेकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक टोली बनायी और विदेशी वस्त्रों को जलाकर उनका बहिकार किया। उन्होंने अमिनप भारत अभियान की शुरुआत की। वे पहले ऐसे क्रान्तिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने दो आजीवन कारावास की सजा दी थी। उन्होंने "इण्डियन वॉर ऑफ इण्डिपेंडेंस" पुस्तक लिखी एवं न्यू दैरा आक्ति को ओट-ग्रेट होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर इतिबन्ध लगा दिया। फिर भी यह पुस्तक अन्य नाम से प्रकाशित होकर जनता तक पहुँचा दी गयी। उन्होंने 1857 के क्रतव-ब्रह्म संग्राम को मादर न कहकर भारत का ध्याम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1305 में दुये बंग-भंग का उन्होंने अत्यधिक विरोध किया। उन्हें अष्टमान की बेलुलर जेल में जाल दिया गया। 1934ई. में उन्हें रत्नागिरि ने नजरबन्द रखा गया। इस प्रकार वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार का प्रतीकार कर राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया।

28. संसद के कार्य व शक्तियाँ -

भारतीय संसद का भारत की व्यवस्थापिका का अंग है जो कानून निर्माण करने का कार्य करती है। संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से बिलकर होता है। लोकसभा संसद का प्रथम व तिसरा सदन है। राज्यसभा संक्षेप का द्वितीय व उच्च सदन है। भारतीय संसद को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संविधान में कांशोद्धन की शक्ति, निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति व अन्य शक्तियाँ शमुख हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का विवरण निम्न है-



(1) विधायी शास्ति-

विधायी शास्ति से गतिर्थी संसद की कानून निर्माण सम्बन्धी शास्ति से है। कानून निर्माण के सम्बन्ध में संसद को अत्यन्त महत्वपूर्ण शास्ति प्राप्त है। संसद को संघ सुची व भभवती सुची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि भभवती सुची के विषयों पर राज्य को भी कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है परन्तु राज्य व केन्द्र में विवाद की स्थिति होने पर कें संसद बारा निर्मित कानून ली मान्य होगा। कानून पारित करने के लिए दोनों सदनों का समान्य बहुमत आवश्यक होता है।

BSL/46/2018

(2) संविधान संशोधन की शास्ति-

संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन की शास्ति विशेष रूप से संसद को ही प्राप्त है। संसद के दोनों सदन निलंबन समान्य बहुमत या दोनों सदनों के पृथक् पृथक् 2/3 बहुमत से अंकोविधान के अधिकारा भाग में संशोधन का कार्य करते हैं। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय संघ के आधे राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है।

(3) वित्तीय शास्ति -

जनता की प्रतिनिधि दोने के बाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित पर पूरी अधिकार प्राप्त है। संसद में वित सभी द्वारा वार्षिक बजट पेश किए जाने के बाद ही राष्ट्रीय आय-व्यय के सम्बन्धित कार्यक्रम

कार्य किया जा सकता है) वित्तीय बोर्ड में महत्वपूर्ण शान्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं।

- (4) प्रशासनिक शान्ति (कार्यपालिका पर नियंत्रण की शान्ति)-
प्रशासनिक बोर्ड में भी संसद मंत्रीमण्डल पर नियंत्रण रखने की शान्ति रखती है, मन्त्रीमण्डल अपने पह पर केवल तब तक आसीन रहता है जब तक उसे संसद (लोकसभा) का क्रियात्मक प्राप्त नहीं। मन्त्रीमण्डल संसद के पुनरुत्तरवादी होती है।
- (5) निर्वाचक मण्डल के रूप में शान्ति-
संसद के दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल का गठन करते हैं। इसी प्रकार संसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्वाचक की शान्ति रखती है।
- (6) अन्य शक्तियाँ-
- संसद के दोनों सदनों के सदस्य ज्ञामान्य बहुमत से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की शान्ति रखते हैं (इसी प्रकार उच्चतमन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाने की शान्ति संसद के पास है)।
 - देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के 6 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।

* कार्य-

दूसंक संसद संघीय व्यवस्थापिका का अंग है अतः भावतीय संसद का कार्यप्रस्तुत कार्य कारन का निमित्त कर उसे पारित करना है। संसद व राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाहरी कोई विद्येय न कानून बनता है।



29. उच्च न्यायालय के कार्यक्रम एवं शास्त्रियों-

उच्च न्यायालय भारतीय संघ ने प्रत्येक वाज्य के पाया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शास्त्रियों निम्न हैं:-

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-

भारतीय संघ के प्रत्येक वाज्य को ग्रामीण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की दफ़ा के सम्बन्धित किसी की विवाद को अपने अधीन लेकर उस पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के मामले की अपील उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी एक न्यायालय से की जा सकती है।

(2) रिट आधिकारिता-

उच्च न्यायालय में किसी भी समान्य मामले की याचिका एवं की जा सकती है। उच्च न्यायालय उस मामले पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, विषेध, उत्पेक्षा आदि अनेक विधियों के जांच के सुनवाई करने का अधिकार रखता है।

(3) अपीलीय क्षेत्राधिकार-

इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, सेवेधानिक व विकासी मामलों की जांच व सुनवाई करने का अधिकार शाप्त है। दीवानी मामलों में चौरी, झोड़, लुट, फौजदारी मामलों में खसीन, जम्पति, खिवाह, तलाक, संवैधानिक

मामलों में संविधान की व्याक्या से सम्बन्धित मामले आते हैं। उच्च न्यायालय इन मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है।

(4) अभिलेख न्यायालय-

उच्च न्यायालय में दिए गए विनियोग इससे नीचे के स्तर के न्यायालयों में साक्ष्यों के रूप में उपयुक्त होंगे। यह उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। इस उकार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है।

(5) परामर्श सम्बन्धी अधिकार-

भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य को कोई भी निर्णय देने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है।

इस उकार उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक, रिट, अफिलीय, अभिलेख व परामर्श सम्बन्धी दोषाविकार व शास्त्रियों प्राप्त है।

20. यदि मैं हमीर देव चौहान के स्थान पर होती तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति वही नीति अपनाती जो हमीर देव चौहान ने अपनायी। मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों को शरण प्रदान कर उनकी अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करती।

इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में शरणागत की रक्षा करना एक राजा का प्रमुख कर्तव्य भाना गया है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए अलाउद्दीन से बगाबत



~~काने वाले मुहम्मद शाह को मैं क्षण पुष्ट हूँ
उसकी रक्षा करती ।~~

11. एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं उच्च व्यायालय के लिये निम्न स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करती हूँ-
- (i) उच्च व्यायालय को अपने आकलन ने माध्यम पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
 - (ii) उच्च व्यायालय को अधिलेख के रूप में निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

"समाप्त"

